आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: CCE/OAP/2019-20/ 1657 दिनांक: 11/6/2019

प्राचार्य

समस्त राजकीय महाविद्यालय

राजस्थान ।

विषय : महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण कार्यक्रम ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संलग्न कार्यक्रमानुसार सत्र 2019-20 के लिए **स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण** कार्य संपन्न करवाना सुनिश्चित करें ।

(प्रदीप कुमार बोरड़, IAS)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव -उच्च शिक्षा

स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण कार्यक्रम

क्रम संख्या	विवरण	वार एवं तिथि
1.	महाविद्यालय में वांछित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अवधि	11 जून से 20 जून 2019 तक
2.	ई-मित्र पर प्रवेश शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि	26 जून 2019
3.	प्रवेश शुल्क जमा कराने वाले विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन	27 जून 2019
4.	**शिक्षण कार्य प्रारम्भ**	**1 जुलाई 2019**

विशेष निर्देश :

1. सत्र 2018-19 के स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के नियमित / पूर्व (Ex) विद्यार्थी को स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में प्रवेश हेतु आवेदन नहीं करना है ।
2. यदि विद्यार्थी को महाविद्यालय में आय प्रमाण पत्र के आधार पर कोई फीस में छूट देय है और विद्यार्थी उस छूट का लाभ लेना चाहता है तो परिवार का आय प्रमाण पत्र व OBC/MBC वर्ग के विद्यार्थियों को Non-Creamy Layer का प्रमाण पत्र दिनांक 20 जून 2019 तक अपने महाविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। **निर्धारित अवधि में यदि वांछित प्रमाण पत्र विद्यार्थी प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे सामान्य आयकर दाता की श्रेणी का शुल्क जमा कराना होगा ।**
3. स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में प्रवेश नवीनीकरण के लिए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने पर भी दिनांक 26 जून 2019 तक ई-मित्र पर प्रवेश शुल्क जमा कराना है।
4. **समस्त विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु 1जुलाई 2019 से नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना है, उपस्थिति की गणना 1जुलाई 2019 से होगी ।**
5. विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित होने पर विद्यार्थी का प्रवेश शुल्क लौटाया जाएगा तथा अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जाएगा ।